



क.रा.बी.नि.  
E.S.I.C.

**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
Ministry of Labour & Employment, Govt. of India



**क्षेत्रीय कार्यालय-बिहार, पंचदीप भवन,  
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800001**  
Tel: 0612-25211928, Fax: 0612-2533314  
E-mail: rd-bihar@esic.nic.in  
Website: [www.esic.gov.in](http://www.esic.gov.in) / [www.esic.in](http://www.esic.in)

## प्रेस वर्जपित

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आ श्रत हितलाभ का भुगतान

पटना, दिनांक : 16-06-2025

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक , सीए. निरंजन कुमार द्वारा सादे समारोह में मेसर्स मैगा कैलबर इन्टरप्राइजेज प्रा. ल. के अंतर्गत पंजीकृत बीमत व्यक्ति श्री पंकज कुमार जो भागलपुर में मीटर रीडर के पद पर कार्यरत थे, उनकी आश्रता पत्नी- अनीता कुमारी, पुत्र- श्री वशेष कुमार, को कर्मचारी राज्य बीमा अधनियम, 1948 के अंतर्गत आश्रत हितलाभ प्रदान क्या गया और संवेदना व्यक्ति की गयी ।

उल्लेखनीय है कि कार्य के दौरान व कार्यस्थल और निवासस्थान के मध्य आवागमन के कारण होने वाली दुर्घटना को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत रोजगार चोट के रूप में स्वीकृत करने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत बीमत कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित परिवारजनों को ₹३० एस० आई० योजना के तहत वेतन का 90% तक मासिक आश्रित पैशान दिया जाता है।

क्षेत्रीय निदेशक